

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
क्रमांक / सरिश्ता / 295 / 24 / 2024 / 48 / दिनांक 24.06.2024

तहसीलदार
बस्सी

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : कमली बनाम किशन लाल

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम गुर्जरखेड़ा प.ह. नगरी तहसील बस्सी सम्वत 2078-81 खतौनी सं. 7 में अकित आराजी न. 430, 431, 431/2583, 432, 433, 433/2585, 434, 435, 436, 436/2586 कुल कीता 10 कुल रकबा 3. 1200 हेक्टर भूमि की बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किये पक्षकारान को लिखित सूचना देकर सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी (सीमांकन) कर दिया जावे। शुल्क 2000 रुपए अक्षरे दो हजार प्रार्थी वहन करेंगे। पालना रिपोर्ट न्यायालय मे शीघ्र भिजावे।

सलंगन -प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति



(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़